

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 335/2023

अनवान : -

1. राममूर्ति पुत्र झिन्दुराम जाति जाट निवासी दौलेवाला बास दलपतपुरा तहसील नोहर।
-वादी

बनाम्

1. झिन्दुराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी दौलेवाला बास दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. प्रताप सिंह पुत्र झिन्दुराम जाति जाट निवासी दौलेवाला बास दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. शंकरलाल पुत्र झिन्दुराम जाति जाट निवासी दौलेवाला बास दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 17.06.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 513/183 की कुल 7.4865 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा झिन्दुराम पुत्र हरलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी उनकी फौतगदी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। उपरोक्त कृषि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो की साझा परिवार की संयुक्त आय से अर्जित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 का प्रतिवादीया स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 513/183 की कुल 7.4865 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीया स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 का प्रतिवादीया स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 513/183 की कुल 7.4865 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 513/183 की कुल 7.4865 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के बजाय वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-दलपतपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 335 / 2023

अनवान : -

1. राममूर्ति पुत्र झिन्दुराम जाति जाट निवासी दौलेवाला बास दलपतपुरा तहसील नोहर।
-वादी

बनाम्

1. झिन्दुराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी दौलेवाला बास दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. प्रताप सिंह पुत्र झिन्दुराम जाति जाट निवासी दौलेवाला बास दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. शंकरलाल पुत्र झिन्दुराम जाति जाट निवासी दौलेवाला बास दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 335 सन 2023 निर्णय दिनांक 17.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 513/183 की कुल 7.4865 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के बजाय वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...17.6.23.....को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-दलपतपुरा